महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 13.11.2024

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 13.11.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

@MahobaPolice

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

यातायात माह नवंबर के तहत यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए पंपलेट वितरित किए गए साथ ही गुड सेमेरिटन और गोल्डन ऑवर के विषय में जानकारी प्रदान कर यातायात नियमों की शपथ दिलाई गई-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी रोकथाम के लिए चलाये जा रहे यातायात माह नवंबर के तहत यातायात जागरुकता कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक- 13.11.2024 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात जागरूकता माह कार्यक्रम के तहत महोबा मुख्यालय नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले मोटर साइकिल, कार एवं बैटरी ई-रिक्शा चालकों को रोककर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा उनके वाहनों में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता से सम्बन्धित स्टिकर को चस्पा किया गया साथ ही तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए पंपलेट वितरित किए गए।

इस दौरान यातायात पुलिस टीम द्वारा गुड सेमेरिटन और गोल्डन ऑवर के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि "गुड सेमेरिटन योजना" के तहत ऐसे नेक व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है, जिसने किसी घातक दुर्घटना (मोटर वाहन से जुड़ी) के पीड़ित की जान तत्काल सहायता प्रदान करके तथा दुर्घटना के गोल्डन ऑवर (दुर्घटना के 60 मिनट) के भीतर उसे अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई हो।

इसी क्रम में यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात जागरूकता माह कार्यक्रम के तहत मुख्यालय महोबा के प्राइवेट बस स्टैंड पहुंचकर वहां पर मौजूद बस एवं ऑटो चालकों को एकत्रित कर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया जिसमें उनको वाहन चलाते समय किन-किन सावधानियों को ध्यान देना चाहिए जिससे सड़क दुर्घटना रोका जा सके। इन यातायात नियमों के प्रति जागरुक करते हुए सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन किये जाने की शपथ दिलाई गई।

महोबा पुलिस

'मिशन शक्ति' फेज-5.0 के तहत महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वयं की सुरक्षा हेतु किया गया जागरुक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज- 5.0 के तहत नारी सशक्तिकरण की कार्यवाही के अनुक्रम में आज दिनांक- 13.11.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रो में महिला पुलिसकर्मी (शक्ति दीदी) द्वारा शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जाकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों, कस्बों, गांवों चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं/छात्र-छात्राओं को स्वयं की सुरक्षा हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जैसे- वुमेन पावर लाइन **1090,** महिला हेल्पलाइन **181,** मुख्यमंत्री हेल्पलाइन **1076,** पुलिस आपातकालीन सेवा **112,** चाइल्ड हेल्पलाइन **1098,** स्वास्थ्य सेवा **102** एम्बुलेंस सेवा **108** व साइबर हेल्पलाइन **1930** तथा थानों के सीयूजी नम्बर आदि के बारे जानकारी देते हुए **24** घण्टे पुलिस सहायता प्रदान किये जाने व थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी तथा महिला अपराध आदि की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा सरकार द्वारा जारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, आयुष्मान योजना आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी एवं साथ ही साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-**1930** की जानकारी देकर किया गया जागरुक ।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 12.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई।

उ0नि0 अनुज कुमार के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त भूरेलाल पुत्र मंगी साहू निवासी मु0 शास्त्रीनगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की सफेद बोरी में 18 क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 नरेशचन्द्र निगम के नेतृत्व में गठित हुई द्वितीय पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त फरीद पुत्र वहीद निवासी मो0 सुभाषनगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में 12 लीटर कच्ची देशी शराब महुआ नाजायज बरामद करते हुए कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

उक्त अवैध शराब की बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 336/2024 व मु0अ0सं0 338/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

प्रथम पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनुज कुमार
2. हे0का0 रामकरन सिंह

द्वितीय पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नरेशचन्द्र निगम
2. कां0 राहुल कुमार

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध रुप से संचालित जुआ/सट्टा में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरादमगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 13.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 विकास तिवारी मय हमराह कां0 अनिल कुमार व कां0 अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मो0 नरवापुरा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के पास सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.सुरेश अहिरवार पुत्र सुन्दर अहिरवार उम्र 42 वर्ष 2.दीपू अहिरवार पुत्र छगनलाल अहिरवार उम्र 26 वर्ष 3.भारत अहिरवार पुत्र कुन्ज विहारी उम्र 23 वर्ष निवासीगण मो0 नरवापुरा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मालफड़ 810 रुपये, जामातलाशी 150 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 347/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विकास तिवारी
2. कां मनोज कुमार
3. कां अजय कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सुरेश अहिरवार पुत्र सुन्दर अहिरवार उम्र 42 वर्ष 2.दीपू अहिरवार पुत्र छगनलाल अहिरवार उम्र 26 वर्ष 3.भारत अहिरवार पुत्र कुन्ज विहारी उम्र 23 वर्ष निवासीगण मो0 नरवापुरा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 12.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह का0 अर्जुन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 295/24 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त दीपचन्द उर्फ दीपू पुत्र रामसिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा को सुनैचा मोड़ के पास बांदा महोबा रोड़ थाना कबरई जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दीपचन्द उर्फ दीपू पुत्र रामसिंह उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम रजपुरा थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. कां0 अर्जुन सिहं

थाना अजनर की पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है, चोरी के वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल सहित अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस की बरामदगी की गई है।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपद में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने व ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 13.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर प्रभारी मलखान सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 हरिशंकर यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना अजनर में पंजीकृत मु0अ0सं0 253/2024 धारा 303(2) BNS से संबंधित 02 नफर वांछित अभियुक्त क्रमशः 1.रहीम पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम मंगरौलकला थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 2.धर्मेन्द्र मुखिया पुत्र महेन्द्र राजपूत निवासी ग्राम बेरी थाना अजनर जनपद महोबा को मुखिबर की सूचना पर नहर कोठी हैण्ड पम्प के पास बहद ग्राम अजनर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल हीरो स्पलेण्डर रेड ब्लैक कलर बरामद की गई साथ ही अभियुक्त रहीम के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 312 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 312 बोर अभियुक्त धर्मेद्र मुखिया के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर की भी बरामदगी की गई है। जिसके संबंध में अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीक मु0अ0स0 253/24 धारा 303(2) BNS में 317(2) BNS की बढ़ोत्तरी कर तथा बरामद अवैध शस्त्र/तमंचा थाना अजनर में मु.अ.सं. 254/24 व मु.अ.सं. 255/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 हरीशंकर यादव 2. उ0नि0 ऋषी शुक्ला
3. कां0 रामकुमार तिवारी 4. कां0 विक्की चौधरी

बरामदगी-

एक अदद मोटर साइकिल चोरी की हीरो स्पलेण्डर रेड ब्लैक कलर रजि0 नं0 UP95V3736 संबंधित मु0अ0सं0 253/2024 धारा 303(2) BNS एवं एक अदद तमंचा 312 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस 312 बोर सील सर्व मोहर संबंधित मु0अ0सं0 254/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व एक अदद तमंचा 12 मय एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर सील सर्व मोहर संबंधित मु0अ0सं0 254/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

अभियुक्त रहीम का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 253/2024 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना अजनर जनपद महोबा।
2.मु0अ0सं0 254/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा।

अभि. धर्मेन्द्र मुखिया का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 255/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा।
2.मु0अ0स0 253/2024 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना अजनर जनपद महोबा।
2.मु0अ0सं0 57/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।
3.मु0अ0सं0 224/2022 धारा 323/325/504 भा0द0वि0 थाना अजनर जनपद महोबा।
4.मु0अ0सं0 31/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा।
5.मु0अ0सं0 139/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा।
6. मु0अ0सं0 69/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर व आबकारी की संयुक्त पुलिस टीम ने 24 लीटर अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 13.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गौंड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर श्री शिवपाल सिंह द्वारा गठित की गई उ.नि. दिनेश कुमार यादव व आबकारी निरीक्षक कनीज फातिमा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखविर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के कबूतरा डेरा किशोरगंज ग्राम बिलरही से अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्ता क्रमशः 1.परी पत्नी शंकर कबूतरा उम्र 28 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा किशोरगंज वहद ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर जनपद महोबा 2.सुलोचना पत्नी मनीराम कबूतरा उम्र 61 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा किशोरगंज वहद ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर जनपद महोबा को नियमानुसार हिरासत में लिया गया जिनके कब्जे से तीन प्लास्टिक की पिपियो अलग-अलग में क्रमशः 14 ली0 व 5-5 ली0 कुल 24 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद की गई। बरामद नाजायज शराब के आधार पर अभि0गण के विरूद्ध थाना अजनर में क्रमशः मु.अ.सं. 253/24 व मु.अ.सं. 254/24 अंतर्गत धारा 60 EX ACT का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

1.उ.नि.दिनेश कुमार यादव 2.आबकारी निरीक्षक कनीज फातिमा क्षेत्र -1 महोबा
3.आब0का0 सिपाही, 4.का0 मुईनुद्दीन फारूकी, 5.का0 आशिक अली, 6.का0 अमित सिंह

गिरफ्तार अभियुक्तागण –

1.परी पत्नी शंकर कबूतरा उम्र 28 वर्ष
2.सुलोचना पत्नी मनीराम कबूतरा उम्र 61 वर्ष
निवासीगण कबूतरा डेरा किशोरगंज वहद ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी –

अभियुक्तागण के कब्जे से तीन प्लास्टिक की अलग-अलग पिपियो में क्रमशः 14 ली0 व 5-5 ली0 कुल 24 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना।